न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)
तारीख दायर

तारीख फैसला 06.04.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 06.04.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
474 / 2022	10–10–2022	06.04.2023

उनवान

ओमवती
नेपाल पुत्र रतिराम
3. पोंची देवी पुत्री लालमन
04. भूपसिंहपुत्र रतिराम
05. मूर्ति पुत्री प्रभु
06. मल्ही पत्नी रतिराम
07. रामफल पुत्र लालमन
08. रामवती पुत्री प्रभू
09. सुनिता पुत्री रतिराम जातियान गुर्जर निवासीगण जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

————:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 211मिन रकबा 4–01 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 758 कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी संख्या 1 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 7/64 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 7/[illegible] हिस्सा, वादी संख्या 8 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 7/256 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर वादीगण व हमारे दादा पडदादा काबिज व दाखिल थे। जिनका देहान्त होने के बाद आराजी वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। घीसा व बिशम्बर व प्रताप बदन को सेटिलमेन्ट विभाग में इनके नाम का अमल हो रहा है। जिनकी मृत्यु के बाद मंगलिया व सायब को मिली है। उनकी मृत्यु के बाद हमे विरासत से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार और खातेदार काश्तकार दाखिल है। मौके पर हमारा ही वास्तविक कब्जा काश्त है। जो वादीगण के दादाओं व पडदादाओं के नाम साबिक रिकार्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

ति तमे खातेदार काश्तकार के रूप में हो रहा है। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी खसरा संख्या गत 211 मिन जिराके हाल खसरा नम्बर 758 है का विरासत का इंतकाल म दर्ज वो स्वीकार हो रहा है। जिस पर हम अपने बुजुर्गान दादा पडदादाजी के जीवन काल से ही काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम का अंकन है। लेकिन संवत 2029 में बन्दोबस्त विभाग लती से हमारे नाम का गैर खातेदारी का अंकन कर दिया गया है। जबकि विवादित आराजी पर हम अपने न के जीवन काल से ही शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौका पर हमारा काश्त है उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के नाम बन्रूदोबस्त राजस्व कर्मचारियान व अधिकारियान राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई है। जो खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकार्ड ऑफ राइटरा तेदार से गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। जो अमल ताहाल जमाबन्दीयात में लगातार चला आ रहा है। बकि पूर्व में हमारे बुजुर्गान के नाम संवत 2010 से लगातार संवत 2023 तक सा0 देह मालिकाना दर्ज है। विवादित आराजी 211मिन नम्बर के जो हाल नम्बर 758 बने है उनकी खातेदारी अन्य हिस्सेदारान को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन विवादित आराजी की हम वादीगण को अभी उक्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके है। हम वादीगण को राजस्व रिकार्ड की नकल की आवश्यकता माह अप्रेल 2022 में होने पर हमने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबन्दी लेना चाहा तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड देखकर हमें बताया कि आपके नाम का राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी का अंकन दर्ज हो रहा है। हम वादीगण से अज खुद उनके कार्यालयमें उपस्थित होकर गैर खातेदारी का अमल अपने नाम जमाबन्दीयात तमे कराने हेतु कहा तो पहले तो टाल बाल करते हुऐ आईन्दा आने को कहां मिन वादीगण प्रतिवादी से लगातार उपस्थित कार्यालय होकर उनसे निवेदन करते रहे है कि आप हमारे नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कर देवें। लेकिन अब प्रतिवादी ने दिनांक 18.08.2022 को साफ तौर से खातेदारी देनेसे इन्कार कर दिया है और कहा की आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवे तब ही हम आपके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करेगें। मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादीगण विवादित आराजी का अपने नाम को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाने के अधिकारी तथा राजस्व कमलजन किया जाकर बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड हम वादीगण के नाम का ताहाल जमाबन्दीयात में खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में वादी संख्या 1 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 7/64 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 7/64 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 7/256 हिस्सा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में जो गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है उसको हजफ किया जाकर बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड हमारे नाम [illegible] का ताहाल जमाबन्दीयात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

र.

र.

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र भूपसिंह पुत्र रतिराम जाति गुर्जर निवासी जलालपुर, रामफल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर के प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप जमाबन्दी संवत 2074–77, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत् 2009, 1997, 2010–13, व गिरदावरी 2009, 2015, 2019 प्रदर्श अंकित किये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के प्रकरण रघुवीर बनाम सरकार निर्णय दिनांक 03.07.2015 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कि गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम जलालपुर से बना है। साबिक खसरा नम्बर 211 ग्राम जलालपुर पर वादीगण के पूर्वजों के नाम की खातेदारी दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम जलालपुर वादी संख्या 1 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 7/64 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/256 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 7/64 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 7/96 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 7/256 हिस्सा का वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:34 IST
Reason: SelfAttested